न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 05/2021

तारीख रजू :–25.01.2021

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

प्रदीप कुमार खत्री पुत्र श्री नेमीचन्द खत्री जाति खत्री (एबीओ व मालिक) फर्म द्वारकानाथ आटा एण्ड मसाला उद्योग, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, खत्री मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर निवासी मण्डी रोड खत्री मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः–

दिनांक 22/2/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 02.11.2020 को समय 11.30 ए.एम पर दौराने गस्त फर्म – द्वारकानाथ आटा एण्ड मसाला उद्योग, पुराने पोस्ट ऑफिस के पास, खत्री मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर पर श्री जितेन्द्र सचदेवा बाट माप निरीक्षक सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहाँ पर प्रदीप कुमार खत्री पुत्र श्री नेमीचन्द खत्री जाति खत्री ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। प्रदीप कुमार खत्री अपनी आटा एण्ड मसाला फेक्ट्री पर मसाले, बेसन व आटे का निर्माण कर व D.N. Brand 500 ग्राम से पैक कर आम जन को फर्म पर एवं बाजार में विक्रय करता है। आवेदक ने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स /रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं पहचान पत्र दिखाने को बोलने पर प्रदीप कुमार खत्री ने फर्म का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स तथा फोटो पहचान पत्र दिखाया। आवेदक द्वारा निरीक्षण के समय फर्म के निर्माण व विक्रय परिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक के लगभग 25 पैकिट एक लकडी की रैक में रखे हुये थे। पैकिटों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट व मिथ्याछाप होने की शंका होने पर विक्रेता से नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचनाफार्म नं0 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक के लकडी के रेक में रखे हुये पैकिटों में से 4 पैकिट वास्ते शुद्धता ... क्रय कर राशि 160/– रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित ... वाहान के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

को 04 बराबर प्लास्टिक के डिब्बों में भर कर अच्छे से बन्द किया गया तथा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया गया तथा प्रत्येक नमूना भाग को अलग अलग ब्राउन कागज में लपेटर पेपर के सिरों को गोंद से चस्पाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच–1894 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को मजबूत सख्त धागे से बांधकर नियमानुसार चार चार जगह सील चपडी किया । प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दानों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहें के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकार हस्ताक्षर करवाये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म न0 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूनाा सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म न0 6 की अलग से सील्ड लिफाफें में श्री गजानन्द लोढा वार्ड बॉय, कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 03.11.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गयी। दो सील बन्द नमूना भाग माय फार्म न0 6 की प्रति के आउटर कवर मं सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ(मुख्य चिकित्साा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)सवाईमाधोपुर को दिनांक 02–11–2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/1906 दिनांक 20.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/1708/एक्ट/2020/1695 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक मिसब्राण्ड (Misbranded food U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया है। यह है कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकर कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की ओर से वकालतनामा श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एड0 ने पेश किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनि[illegible] की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त [illegible] किया जावें।

वकील अभियुक्त ने ब[illegible] द्वारा अच्छी क्वालिटी के बेसन का निर्माण किया जाता है जो कि एफएसएल रिपोर्ट म[illegible] तय मानकों के अनुसार है। अप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

वकील अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा अच्छी क्वालिटी के बेसन का निर्माण किया जाता है जो कि एफएसएल रिपोर्ट में भी तय मानकों के अनुसार है। अप्रार्थी द्वारा प्रिन्टिंग में संवहन से छूट जाने के कारण लेबल में गलती आयी है, जिसे भविष्य में सुधार लिया जावेगा। अन्त में अभियुक्त के खिलाफ चल रहे प्रकरण में कार्यवाही को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1708/एक्ट/2020/1695 दिनांक 09.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक मिसब्राण्ड पाया गया है जिसका विक्रय कर खाद्यकारोबार कर्त्ता एवं विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ बेसन (D.N. Brand) 500 ग्राम पैक का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त 40,000/–रू0 (अक्षरे चालीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/2/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested